



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जिला श्रीगंगानगर (राज.)

01509-220006, 223877 (ऑफिस)

फैक्स-01509-220068, 223877 (ऑफिस)

अल्पकालीननिविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज0) द्वारा फार्म में रबी 2014-15 सीजन में बोयी गयी चना, गेहूँ, जौ, जई आदि फसलों की कटाई के बाद खाली क्षेत्र में भेड़ें/पशु चराने के लिये इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदायें दिनांक 08.05.15, को सायं 3.00 बजे तक प्राप्त की जा कर उसी दिन सायं 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदायें खोलने से पूर्व खुली बोली का भी आयोजन किया जायेगा। उचित दरें प्राप्त न होने की स्थिति में दिनांक 11.05.2015, 14.05.15 व 16.05.15 को सायं 3.00 बजे तक पुनः निविदायें प्राप्त की जायेगी। निविदा एवं खुली बोली में भाग लेने के लिए निविदादाता को रू0 50000/- (रू0 पचास हजार मात्र) प्रति यूनिट (प्रत्येक यूनिट में सम्मिलित क्षेत्र/चकों का पूर्ण विवरण निविदा-प्रपत्र में उपलब्ध है) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम से देय हो, धरोहर राशि के रूप में जमा करवाना होगा जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। चराई का ठेका सिल्ला चुगाई के बाद दिया जाएगा। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्त निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।

अन्य विवरण, नियम व शर्तों सहित निविदा प्रपत्र किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक रू0 100/- (रू0 एक सौ मात्र) नकद जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदादाता को अपना स्थायी पता व पैन कार्ड की प्रति उपलब्ध करानी होगी।

समन्वयक

फार्म क्षेत्र में पशु चराई के परमिट जारी करने की शर्तें

- 1— पूरे फार्म को 5 यूनिटों में बांटा गया है। ब्लाक एक को 5-5 चकों की 2 यूनिट ब्लॉक दो की चार चकों व तीन चकों की 1-1 यूनिट व ब्लाक तीन के चार चकों की एक यूनिट होगी। प्रत्येक यूनिट के लिए रु 50000/- मात्र धरोहर राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट जो किराष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के पक्ष में देय हो देना होगा जो कि चराई सन्तोषजनक पूरी होने पर बिना व्याज के लौटा दी जायेगी। पहले खुली बोली कराई जायेगी उसके बाद टेण्डर खोले जायेगे।
- 2— चराई का समय अधिक से अधिक 45 दिन होगा। चने की सिल्ला चुगाई व तूड़ी बनाने के लिए दिये गये क्षेत्र में तूड़ी बनाने के बाद ही चराई कर सकेंगे।
- 3— चराई के लिए कम से कम एक यूनिट एक पार्टी को दी जायेगी। सफल निविदादाता की 30 प्रतिशत रकम निविदा के अगले दिन तथा 70 प्रतिशत रकम निविदा के 10 दिन में जमा करानी होगी। यदि 30 प्रतिशत रकम अगले दिन जमा नहीं करायी गयी तो अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 4— यदि फार्म सम्पत्ति का कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।
- 5— पशु चराने के लिए आदमी फार्म क्षेत्र में किसी प्रकार का हथियार, बल्लम, भाला, बन्दूक, पिस्तौल आदि नहीं लायेगा। चराई का ठेका होने के बाद अवैधे चराई को रोकने की जिम्मेदारी चराई ठेकेदार की होगी। इसके लिए फार्म जिम्मेदार नहीं होगा।
- 6— पर्ची लेने वाले को पूरा नाम व पता देना होगा।
- 7— जिस परिक्षेत्र में बिजाई आदि करने की जरूरत होगी, उसके बदले और क्षेत्र नहीं दिया जायेगा और न ही रकम वापिस की जायेगी एवं बिजाई की गई फसलों को किसी प्रकार का नुकसान होने की दशा में परमिट रद्द कर दिया जायेगा।
- 8— चराई के लिए प्रबन्धक (उत्पादन) द्वारा एक परमिट जारी किया जायेगा जो कि रबी फसलों की कटाई होने के उपरान्त ही जारी होगा।
- 9— फार्म के किसी भी अधिकारी, सुरक्षा चौकीदार व चक प्रभारी के मांगने पर चराई करने वाले को परमिट दिखाना होगा। बिना परमिट के पशु चराते हुए पाये जाने पर चराई को अवैध माना जायेगा।
- 10— गलत गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर चराई बिना कारण बताये भी फार्म निदेशक द्वारा बन्द की जा सकती है।
- 11— यदि खाली क्षेत्र में घग्घर नदी का पानी आ गया हो तो उसके एवज में दूसरा क्षेत्र नहीं दिया जायेगा।
- 12— पानी पिलाने के वास्ते भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जायेगे सिर्फ अपने क्षेत्र में ही रहेगे। चराई के समय किसी पशु या भेड़ आदि की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए फार्म जिम्मेदार नहीं होगा।
- 13— परमिट लेने वाले को एक नोन ज्यूडिशियल रुपये 100-00 (रुपये एक सौ) के स्टाम्प दस्तावेज पर एक स्वीकृति देनी होगी कि किसी भी प्रकार का नुकसान फार्म की फसलों को नहीं करेगा और जिस क्षेत्र का परमिट लिया गया है उसी क्षेत्र में अपने पशु चराएगा और फार्म की शर्तों का पूर्ण पालन करेगा।
- 14— यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार के किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के सह प्रबन्ध निदेशक को संदर्भित किया जायेगा जिसको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं या अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्वीटेटर) के द्वारा विवाद का निवटारा आर्बीटेशन एवं कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराए। पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगी कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बीटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
- 15— सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।
- 16— आर्बीटेशन एवं कानसिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म परिधि से सम्बन्धित होगा।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)

सेवामें,

श्रीमान निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म,
सूरतगढ़ (राज०)

विषय :—रबी 2014–15 की फसलों की कटाई के बाद खाली क्षेत्र में भेड़/पशु चराने के लिए टेण्डर।

महोदय,

निवेदन यह है कि मैं निम्न दरों पर फार्म में चराई कार्य लेने को तैयार हूँ ।

खण्ड नं०	यूनिट नं०	चक संख्या	चराई का कुल क्षेत्र एकड़ में	दर प्रति एकड़ रुपयों में
1	1	35, 37, 38 एसटीजी व बीआरपी— 1 व 3	2202.5	
1	2	39, 40, 41, 42 एवं 44 एस० टी० जी०	2237.5	
2	3	31 ए व 31 बी ,पीबीएन	508.5	
2	4	आरपीएम— 1, 2, 3, व 4	1267.5	
3	5	3, 4, 5 एस० जी० एम० व 34 पी० बी० एन०	1247.0	

हस्ताक्षर —————

नाम —————

पिता का नाम —————

ग्राम व डाकघर —————

तहसील —————

जिला —————

मोबाईल नं० —————

